

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

Phon - Fax No. 07868 - 241313. Email - cg deo kanker@gmail.com

क्रमांक/विधि/20224

प्रति,

4059

कांकेर, दिनांक. 02/08/2024

खण्ड शिक्षा अधिकारी

विकासखण्ड कांकेर/चारामा/कोयलीवेड़ा/भानुप्रतापपुर

विषय:-

आदेश प्रति तामिल कराने विषयक ।


--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि याचिका क्रमांक डब्लू.पी.एस. 3045/2023 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 के परिपालन में संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर द्वारा निम्नांकित आवेदकों के अभ्यावेदन का निराकरण किया गया है जिसकी प्रति सूची अनुसार आपकी ओर प्रेषित की जा रही है ।

क्रमांक	आवेदक का नाम/पदनाम	कार्यरत संस्था का नाम	याचिका क्रमांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4	5
1	श्री कमलेश कुमार बंजारे व्या. एल.वी.	शा.हाई स्कूल भेजा विकासखण्ड भानुप्रतापपुर	डब्लू.पी.एस. 3045/2023	1000/01.08.2024
2	श्री सुनील कुमार गावड़े व्या.एल.वी.	शा.हाई स्कूल बारवी वि.ख. भानुप्रतापपुर	डब्लू.पी.एस. 3045/2023	1010/01.08.2024
3	श्री अशोक कुमार मरकाम व्या.एल.वी.	शा.हाई स्कूल बारवी वि.ख. भानुप्रतापपुर	डब्लू.पी.एस. 3045/2023	1008/01.08.2024
4	श्रीमती आशा कुजूर व्या. एल.वी.	शा.हाई स्कूल बारवी वि.ख. भानुप्रतापपुर	डब्लू.पी.एस. 3045/2023	996/01.08.2024
5	श्री सहदेव राम नाग व्या.एल.वी.	शा.उ.मा.वि.परतापुर वि.ख. कोयलीवेड़ा	डब्लू.पी.एस. 3045/2023	998/01.08.2024
6	श्री सिया राम ध्रुव व्या. एल.वी.	शा.उ.मा.वि.इरपानार वि.ख. कोयलीवेड़ा	डब्लू.पी.एस. 3045/2023	1002/01.08.2024
7	श्री राजेश कुमार ध्रुव व्या. एल.वी.	शा.हाई स्कूल माचपल्ली वि.ख. कोयलीवेड़ा	डब्लू.पी.एस. 3045/2023	1006/01.08.2024
8	श्री विरझ राम कांगे व्या. एल.वी.	शा.हाई स्कूल तेलावट वि.ख.कांकेर	डब्लू.पी.एस. 3045/2023	994/01.08.2024
9	श्री टिकेलाल सिदार व्या. एल.वी.	शा.हायर सेकेण्डरी स्कूल पोटगांव वि.ख.कांकेर	डब्लू.पी.एस. 3045/2023	1012/01.08.2024
10	श्री जीवनलाल बघेल व्या.एल.वी.	शा.उ.मा.वि.चंदेली वि.ख. चारामा	डब्लू.पी.एस. 3045/2023	1004/01.08.2024

अतः उपरोक्तानुसार आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है संबंधित को आदेश तामिल करा अभिस्वीकृति अनिवार्यतः भेजे करे ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
उत्तर बस्तर कांकेर

लोक शिक्षण संचालनालय  
छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फैक्स क्रमांक 0771-2445215, ई.मेल. cg.dpi.dir@gmail.com)

क. /स्था 2 / टी संवर्ग / 32(14) / 2024 / 3000 अटल नगर दिनांक 01/08/2024

// आदेश //

श्री पुरुषोत्तम लाल साहू व्याख्याता एलबी शा.हाईस्कूल चारभाठा वि.खं. चारामा जिला कांकेर एवं अन्य 11 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 3045/2023 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 के परिपालन में श्री कमलेश कुमार बंजारे व्याख्याता एलबी शा.हाईस्कूल भेजा वि.खं. भानुप्रतापपुर जिला कांकेर के द्वारा अभ्यावेदन प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किया गया है।

संबंधित द्वारा अभ्यावेदन में लेख किया गया है कि:- इनकी नियुक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कांकेर के आदेश दिनांक 22.02.2013 द्वारा व्याख्याता पंचायत के पद पर हुई एवं इनके द्वारा शा.हाईस्कूल भेजा वि.खं. भानुप्रतापपुर जिला कांकेर में दिनांक 28.02.2013 को कार्यभार ग्रहण किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन दिनांक 01.11.2020 से किया गया है। नियुक्ति से 10 वर्ष की सेवा अवधि दिनांक 28.02.2023 को पूर्ण हो चुकी है, तथा पदोन्नति हेतु आवश्यक योग्यताओं को धारित करने के उपरांत भी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति नहीं होने का लेख करते हुये दिनांक 28.02.2023 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत से कमोन्नति वेतनमान प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 3045/2023 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 की कण्डिका 3 एवं 4 इस प्रकार है:-  
3. Given the limited grievance which the petitioners have raised, let the petitioners make a suitable representation to the respondents No.1 to 3 within a period of three weeks from the date of receipt of certified copy of this order and the respondents No.1 to 3, in turn, shall take a decision on the granting of Kramonnati to the petitioners within a further period of 90 days. 4. The writ petition accordingly stands disposed of.

छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 12-03/2018/20-दो दिनांक 30.06.2018 की कण्डिका 3 एवं 4 इस प्रकार है:-  
3/ शिक्षक(पंचायत/नगरीय निकाय) जिनकी सेवायें 01 जुलाई 2018 को 08 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण हो चुकी है, की सेवाओं का दिनांक 01 जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाता है।  
4/ शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग को देय समस्त लाभ के लिये सेवा की गणना संविलियन दिनांक 1 जुलाई 2018 से की जायेगी।

Dr

उपरोक्तानुसार शासन नियम से स्पष्ट है कि शिक्षक एलबी संवर्ग के सेवाकाल की गणना संविलियन दिनांक से किया जाना है एवं संबंधित शिक्षकों के द्वारा व्याख्याता पंचायत पद पर नियुक्ति दिनांक से सेवाकाल की गणना कर क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान की मांग की गई है, जो कि नियमानुसार नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आदेश के परिपालन में संबंधित के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार किया गया है। श्री कमलेश कुमार बंजारे व्याख्याता एलबी शा.हाईस्कूल भेजा वि.खं. भानुप्रतापपुर जिला कांकेर का अभ्यावेदन विधिअनुरूप पोषणीय नहीं होने के फलस्वरूप अमान्य किया जाता है।

*Diya*  
संचालक 31/7/24

AS लोक शिक्षण संचालनालय  
अटल नगर दिनांक 01/08/2024

पृ.क./स्था.2/टी संवर्ग/32(14)/2024/1001  
प्रतिलिपि:

1. महाधिवक्ता छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर।
2. सचिव छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग बस्तर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विधि कक्ष स्थानीय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित श्री कमलेश कुमार बंजारे व्याख्याता एलबी शा.हाईस्कूल भेजा वि.खं. भानुप्रतापपुर जिला कांकेर।  
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

*Diya*  
संचालक

AS लोक शिक्षण संचालनालय

लोक शिक्षण संचालनालय  
छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ई.मेल. cg.dpi.dir@gmail.com)

क / स्था 2 / टी संवर्ग / 32(14) / 2024 / 1010 अटल नगर दिनांक 01/08/2024

// आदेश //

श्री पुरुषोत्तम लाल साहू व्याख्याता एलबी शाहाईस्कूल चारभाठा विख चारामा जिला कांकेर एवं अन्य 11 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 3045/2023 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 के परिपालन में श्री सुनील कुमार गावडे व्याख्याता एलबी शाहाईस्कूल बारवी वि.खं. भानुप्रतापपुर जिला कांकेर के द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 17.02.2024 प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किया गया है।

संबधित द्वारा अभ्यावेदन में लेख किया गया है कि:- इनकी नियुक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कांकेर के आदेश दिनांक 07.01.2013 द्वारा व्याख्याता पंचायत के पद पर हुई एवं इनके द्वारा शा.हाईस्कूल बारवी वि.खं. भानुप्रतापपुर जिला कांकेर में दिनांक 11.01.2013 को कार्यभार ग्रहण किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन दिनांक 01.11.2020 से किया गया है। नियुक्ति से 10 वर्ष की सेवा अवधि दिनांक 11.01.2023 को पूर्ण हो चुकी है, तथा पदोन्नति हेतु आवश्यक योग्यताओं को धारित करने के उपरांत भी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति नहीं होने का लेख करते हुये दिनांक 11.01.2023 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत से क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 3045/2023 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 की कण्डिका 3 एवं 4 इस प्रकार है:-  
3. Given the limited grievance which the petitioners have raised, let the petitioners make a suitable representation to the respondents No.1 to 3 within a period of three weeks from the date of receipt of certified copy of this order and the respondents No.1 to 3, in turn, shall take a decision on the granting of Kramonnati to the petitioners within a further period of 90 days. 4. The writ petition accordingly stands disposed of.

छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 12-03/2018/20-दो दिनांक 30.06.2018 की कण्डिका 3 एवं 4 इस प्रकार है:-

3/ शिक्षक(पंचायत/नगरीय निकाय) जिनकी सेवाये 01 जुलाई 2018 को 08 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण हो चुकी है, की सेवाओं का दिनांक 01 जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन विन्या जाता है।

4/ शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग को देय समस्त लाभ के लिये सेवा की गणना संविलियन दिनांक 1 जुलाई 2018 से की जायेगी।


कार्यालय जिला शिक्षा  
उच्च कांकेर (छ.ग.)  
प्रभारी अधिकारी - विधि / एन.ए. 2  
शिक्षा का नाम  
क्रमांक 3206 22/8/24  
27.08.24


उपरोक्तानुसार शासन नियम से स्पष्ट है कि शिक्षक एलबी संवर्ग के सेवाकाल की गणना संविलियन दिनांक से किया जाना है एवं संबंधित शिक्षकों के द्वारा व्याख्याता पंचायत पद पर नियुक्ति दिनांक से सेवाकाल की गणना कर कमोन्नति/समयमान वेतनमान की मांग की गई है, जो कि नियमानुसार नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आदेश के परिपालन में संबंधित के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार किया गया है। श्री सुनील कुमार गावडे व्याख्याता एलबी शा.हाईस्कूल बारवी वि.खं. भानुप्रतापपुर जिला कांकेर का अभ्यावेदन विधिअनुरूप पोषणीय नहीं होने के फलस्वरूप अमान्य किया जाता है।

पृ.क./स्था.2/टी संवर्ग/32(14)/2024/1011  
प्रतिलिपि:

1. महाधिवक्ता छ.ग. उच्च न्यायालय विलासपुर।
2. सचिव छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग बस्तर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विधि कक्ष स्थानीय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित श्री सुनील कुमार गावडे व्याख्याता एलबी शा.हाईस्कूल बारवी वि.खं. भानुप्रतापपुर जिला कांकेर।  
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
संचालक 31/7/24  
श्री. लोक शिक्षण संचालनालय  
अटल नगर दिनांक 01/08/2024

  
संचालक  
श्री. लोक शिक्षण संचालनालय

लोक शिक्षण संचालनालय  
छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फैक्स क्रमांक 0771-2445215, ई.मेल. cg.dpi.dir@gmail.com)

क. / स्था.2 / टी संवर्ग / 32(14) / 2024 / 1008 अटल नगर दिनांक 01/08/2024

// आदेश //

श्री पुरुषोत्तम लाल साहू व्याख्याता एलबी शा.हाईस्कूल चारभाठा वि.खं. चारामा जिला कांकेर एवं अन्य 11 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 3045/2023 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 के परिपालन में श्री अशोक कुमार भरकाम व्याख्याता एलबी शा.हाईस्कूल बारवी वि.खं. भानुप्रतापपुर जिला कांकेर के द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 17.02.2024 प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किया गया है।

संबंधित द्वारा अभ्यावेदन में लेख किया गया है कि:- इनकी नियुक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कांकेर के आदेश दिनांक 22.02.2013 द्वारा व्याख्याता पंचायत के पद पर हुई एवं इनके द्वारा शा.हाईस्कूल बारवी वि.खं. भानुप्रतापपुर जिला कांकेर में दिनांक 23.02.2013 को कार्यभार ग्रहण किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन दिनांक 01.11.2020 से किया गया है। नियुक्ति से 10 वर्ष की सेवा अवधि दिनांक 23.02.2023 को पूर्ण हो चुकी है, तथा पदोन्नति हेतु आवश्यक योग्यताओं को धारित करने के उपरांत भी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति नहीं होने का लेख करते हुये दिनांक 23.02.2023 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत से कमोन्नति वेतनमान प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 3045/2023 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 की कण्डिका 3 एवं 4 इस प्रकार है:-  
3. Given the limited grievance which the petitioners have raised, let the petitioners make a suitable representation to the respondents No.1 to 3 within a period of three weeks from the date of receipt of certified copy of this order and the respondents No.1 to 3, in turn, shall take a decision on the granting of Kramonnati to the petitioners within a further period of 90 days. 4. The writ petition accordingly stands disposed of.

छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 12-03/2018/20-दो दिनांक 30.06.2018 की कण्डिका 3 एवं 4 इस प्रकार है:-  
3/ शिक्षक(पंचायत/नगरीय निकाय) जिनकी सेवायें 01 जुलाई 2018 को 08 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण हो चुकी है, की सेवाओं का दिनांक 01 जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाता है।  
4/ शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग को देय समस्त लाभ के लिये सेवा की गणना संविलियन दिनांक 1 जुलाई 2018 से की जायेगी।





उपरोक्तानुसार शासन नियम से स्पष्ट है कि शिक्षक एलबी संवर्ग के सेवाकाल की गणना संविलियन दिनांक से किया जाना है एवं संबंधित शिक्षकों के द्वारा व्याख्याता पंचायत पद पर नियुक्ति दिनांक से सेवाकाल की गणना कर क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान की मांग की गई है, जो कि नियमानुसार नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आदेश के परिपालन में संबंधित के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार किया गया है। श्री अशोक कुमार मरकाम व्याख्याता एलबी शा.हाईस्कूल बारवी वि.खं. भानुप्रतापपुर जिला कांकेर का अभ्यावेदन विधिअनुरूप पोषणीय नहीं होने के फलस्वरूप अमान्य किया जाता है।

पृ.क./स्था.2/टी संवर्ग/32(14)/2024/1009  
प्रतिलिपि:

1. महाधिवक्ता छ.ग. उच्च न्यायालय विलासपुर।
2. सचिव छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग बस्तर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विधि कक्ष स्थानीय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित श्री अशोक कुमार मरकाम व्याख्याता एलबी शा.हाईस्कूल बारवी वि.खं. भानुप्रतापपुर जिला कांकेर।  
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
संचालक 31/07/24.  
लोक शिक्षण संचालनालय  
अटल नगर दिनांक 01/08/2024

  
संचालक  
लोक शिक्षण संचालनालय  
अटल नगर

लोक शिक्षण संचालनालय  
छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फैक्स क्रमांक 0771-2445215, ई.मेल. cg.dpi.dir@gmail.com)

क./स्था.2/टी संवर्ग/32(14)/2024/996 अटल नगर दिनांक 01/08/2024

// आदेश //

श्री पुरुषोत्तम लाल साहू व्याख्याता एलबी शा.हाईस्कूल चारभाठा वि.खं. चारामा जिला कांकेर एवं अन्य 11 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. विलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 3045/2023 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 के परिपालन में श्रीमती आशा कुजूर व्याख्याता एलबी शा.हाईस्कूल बारवी वि.खं. भानुप्रतापपुर जिला कांकेर के द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 17.02.2024 प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किया गया है।

संबंधित द्वारा अभ्यावेदन में लेख किया गया है कि- इनकी नियुक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कांकेर के आदेश दिनांक 07.01.2013 द्वारा व्याख्याता पंचायत के पद पर हुई एवं इनके द्वारा शा.हाईस्कूल बारवी वि.खं. भानुप्रतापपुर जिला कांकेर में दिनांक 08.01.2013 को कार्यभार ग्रहण किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन दिनांक 01.11.2020 से किया गया है। नियुक्ति से 10 वर्ष की सेवा अवधि दिनांक 08.01.2023 को पूर्ण हो चुकी है, तथा पदोन्नति हेतु आवश्यक योग्यताओं को धारित करने के उपरांत भी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति नहीं होने का लेख करते हुये दिनांक 08.01.2023 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत से कमोन्नति वेतनमान प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. विलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 3045/2023 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 की कण्डिका 3 एवं 4 इस प्रकार है:-  
3. Given the limited grievance which the petitioners have raised, let the petitioners make a suitable representation to the respondents No.1 to 3 within a period of three weeks from the date of receipt of certified copy of this order and the respondents No.1 to 3, in turn, shall take a decision on the granting of Kramonnati to the petitioners within a further period of 90 days. 4. The writ petition accordingly stands disposed of.

छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 12-03/2018/20-दो दिनांक 30.06.2018 की कण्डिका 3 एवं 4 इस प्रकार है:-  
3/ शिक्षक(पंचायत/नगरीय निकाय) जिनकी सेवायें 01 जुलाई 2018 को 08 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण हो चुकी है, की सेवाओं का दिनांक 01 जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाता है।  
4/ शिक्षक (एल.बी.) रावर्ग को देय समस्त लाभ के लिये सेवा की गणना संविलियन दिनांक 1 जुलाई 2018 से की जायेगी।

*De*





उपरोक्तानुसार शासन नियम से स्पष्ट है कि शिक्षक एलबी संवर्ग के सेवाकाल की गणना संविलियन दिनांक से किया जाना है एवं संबंधित शिक्षकों के द्वारा व्याख्याता पंचायत पद पर नियुक्ति दिनांक से सेवाकाल की गणना कर कमोन्नति/समयमान वेतनमान की मांग की गई है, जो कि नियमानुसार नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आदेश के परिपालन में संबंधित के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार किया गया है। श्रीमती आशा कुजूर व्याख्याता एलबी शा. हाईस्कूल बारवी वि.खं. भानुप्रतापपुर जिला कांकेर का अभ्यावेदन विधिअनुरूप पोषणीय नहीं होने के फलस्वरूप अमान्य किया जाता है।

पृ.क./स्था.2/टी संवर्ग/32(14)/2024/997  
प्रतिलिपि.

1. महाधिवक्ता छ.ग. उच्च न्यायालय विलासपुर।
2. सचिव छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग बस्तर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विधि कक्ष स्थानीय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित श्रीमती आशा कुजूर व्याख्याता एलबी शा.हाईस्कूल बारवी वि.खं. भानुप्रतापपुर जिला कांकेर।  
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
संचालक 31/7/24  
लोक शिक्षण संचालनालय  
अटल नगर दिनांक 01/08/2024

  
लोक शिक्षण संचालनालय

लोक शिक्षण संचालनालय  
छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, अटल नगर)

दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ई.मेल. cg.dpi.dir@gmail.com

क./स्था.2/टी संवर्ग/32(14)/2024/998 अटल नगर दिनांक 01/08/2024

// आदेश //

श्री पुरुषोत्तम लाल साहू व्याख्याता एलबी शा.हाईस्कूल चारभाठा वि.खं. चारामा जिला कांकेर एवं अन्य 11 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. विलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 3045/2023 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 के परिपालन में श्री सहदेव राम नाग व्याख्याता एलबी शा.उ.मा.वि. परतापुर वि.खं. कोयलीवेडा जिला कांकेर के द्वारा अभ्यावेदन प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किया गया है।

संबंधित द्वारा अभ्यावेदन में लेख किया गया है कि:- इनकी नियुक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कांकेर के आदेश दिनांक 10.07.2008 द्वारा व्याख्याता पंचायत के पद पर हुई एव इनके द्वारा शा.उ.मा.वि. परतापुर वि.खं. कोयलीवेडा जिला कांकेर में दिनांक 14.07.2008 को कार्यभार ग्रहण किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन दिनांक 01.07.2018 से किया गया है। नियुक्ति से 10 वर्ष की सेवा अवधि दिनांक 14.07.2018 को पूर्ण हो चुकी है, तथा पदोन्नति हेतु आवश्यक योग्यताओं को धारित करने के उपरांत भी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति नहीं होने का लेख करते हुये दिनांक 14.07.2018 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत से क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. विलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 3045/2023 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 की कण्डिका 3 एवं 4 इस प्रकार है:-  
3. Given the limited grievance which the petitioners have raised, let the petitioners make a suitable representation to the respondents No.1 to 3 within a period of three weeks from the date of receipt of certified copy of this order and the respondents No.1 to 3, in turn, shall take a decision on the granting of Kramonnati to the petitioners within a further period of 90 days. 4. The writ petition accordingly stands disposed of.

छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 12-03/2018/20-दो दिनांक 30.06.2018 की कण्डिका 3 एवं 4 इस प्रकार है:-  
3/ शिक्षक(पंचायत/नगरीय निकाय) जिनकी सेवायें 01 जुलाई 2018 को 08 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण हो चुकी हैं, की सेवाओं का दिनांक 01 जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाता है।

4/ शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग को देय समस्त लाभ के लिये सेवा की गणना संविलियन दिनांक 1 जुलाई 2018 से की जायेगी।


*[Handwritten Signature]*


उपरोक्तानुसार शासन नियम से स्पष्ट है कि शिक्षक एलबी संवर्ग के सेवाकाल की गणना संविलियन दिनांक से किया जाना है एवं संबंधित शिक्षकों के द्वारा व्याख्याता पंचायत पद पर नियुक्ति दिनांक से सेवाकाल की गणना कर क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान की मांग की गई है, जो कि नियमानुसार नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आदेश के परिपालन में संबंधित के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार किया गया है। श्री सहदेव राम नाग व्याख्याता एलबी शा.उ.मा.वि. परतापुर वि.खं. कोयलीवेडा जिला कांकेर का अभ्यावेदन विधिअनुरूप पोषणीय नहीं होने के फलस्वरूप अमान्य किया जाता है।

पृ.क्र./स्था.2/टी संवर्ग/32(14)/2024/999  
प्रतिलिपि:

1. महाधिवक्ता छ.ग. उच्च न्यायालय विलासपुर।
2. सचिव छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग बस्तर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विधि कक्ष स्थानीय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित श्री सहदेव राम नाग व्याख्याता एलबी शा.उ.मा.वि. परतापुर वि.खं. कोयलीवेडा जिला कांकेर।  
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
संचालक 31/7/24.  
AS. लोक शिक्षण संचालनालय  
अटल नगर दिनांक 01/08/2024

  
संचालक  
AS. लोक शिक्षण संचालनालय

लोक शिक्षण संचालनालय  
छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फैक्स क्रमांक 0771-2445215, ई.मेल. cg:dpt.dir@gmail.com)

क./स्था.2/टी संवर्ग/32(14)/2024/1002

अटल नगर दिनांक 01/08/2024

// आदेश //

श्री पुरुषोत्तम लाल साहू व्याख्याता एलबी शा.हाईस्कूल चारभाठा विखं चारामा जिला कांकेर एवं अन्य 11 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. विलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 3045/2023 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 के परिपालन में श्री सिया राम ध्रुव व्याख्याता एलबी शा.उ.मा.वि. इरपानार विखं कोयलीवेडा जिला उ.ब. कांकेर के द्वारा अभ्यावेदन प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किया गया है।

संबंधित द्वारा अभ्यावेदन में लेख किया गया है कि:- इनकी नियुक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कांकेर के आदेश दिनांक 08.08.2008 द्वारा व्याख्याता पंचायत के पद पर हुई एवं इनके द्वारा शा.उ.मा.वि. इरपानार वि.खं. कोयलीवेडा जिला उ.ब. कांकेर में दिनांक 09.08.2008 को कार्यभार ग्रहण किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन दिनांक 01.07.2018 से किया गया है। नियुक्ति से 10 वर्ष की सेवा अवधि दिनांक 09.08.2018 को पूर्ण हो चुकी है, तथा पदोन्नति हेतु आवश्यक योग्यताओं को धारित करने के उपरांत भी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति नहीं होने का लेख करते हुये दिनांक 09.08.2018 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत से क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. विलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 3045/2023 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 की कण्डिका 3 एवं 4 इस प्रकार है:-  
3. Given the limited grievance which the petitioners have raised, let the petitioners make a suitable representation to the respondents No.1 to 3 within a period of three weeks from the date of receipt of certified copy of this order and the respondents No.1 to 3, in turn, shall take a decision on the granting of Kramonnati to the petitioners within a further period of 90 days. 4. The writ petition accordingly stands disposed of.

छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 12-03/2018/20-दो दिनांक 30.06.2018 की कण्डिका 3 एवं 4 इस प्रकार है:-  
3/ शिक्षक(पंचायत/नगरीय निकाय) जिनकी सेवायें 01 जुलाई 2018 को 08 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण हो चुकी है, की सेवाओं का दिनांक 01 जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाता है।  
4/ शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग को देय समस्त लाभ के लिये सेवा की गणना संविलियन दिनांक 1 जुलाई 2018 से की जायेगी।

*[Handwritten Signature]*


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी  
उ.ब. कांकेर (उ.ग.)  
पञ्चमी अधिकारी  
आवका क्र. 3260  
27.08.2024  
28/8/24


उपरोक्तानुसार शासन नियम से स्पष्ट है कि शिक्षक एलबी संवर्ग के सेवाकाल की गणना सविलियन दिनांक से किया जाना है एवं संबंधित शिक्षकों के द्वारा व्याख्याता पंचायत पद पर नियुक्ति दिनांक से सेवाकाल की गणना कर कमोन्नति/समयमान वेतनमान की मांग की गई है, जो कि नियमानुसार नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आदेश के परिपालन में संबंधित के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार किया गया है। श्री सिया राम ध्रुव व्याख्याता एलबी शा. उ.मा.वि. इरपानार वि.खं. कोयलीबेडा जिला उ.ब.कांकेर का अभ्यावेदन विधिअनुरूप पोषणीय नहीं होने के फलस्वरूप अमान्य किया जाता है।

पृ.क./स्था.2/टी संवर्ग/32(14)/2024/1003  
प्रतिलिपि:

1. महाधिवक्ता छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर।
2. सचिव छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग बस्तर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विधि कक्ष स्थानीय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित श्री सिया राम ध्रुव व्याख्याता एलबी शा.उ.मा.वि. इरपानार वि.खं. कोयलीबेडा जिला उ.ब.कांकेर।  
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
संचालक 31/1/24  
AS. लोक शिक्षण संचालनालय  
अटल नगर दिनांक 01/08/2024


  
संचालक  
AS. लोक शिक्षण संचालनालय


उपरोक्तानुसार शासन नियम से स्पष्ट है कि शिक्षक एलबी संवर्ग के सेवाकाल की गणना सविलियन दिनांक से किया जाना है एवं संबंधित शिक्षकों के द्वारा व्याख्याता पंचायत पद पर नियुक्ति दिनांक से सेवाकाल की गणना कर कमोन्नति/समयमान वेतनमान की मांग की गई है, जो कि नियमानुसार नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आदेश के परिपालन में संबंधित के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार किया गया है। श्री सिया राम ध्रुव व्याख्याता एलबी शा. उ.मा.वि. इरपानार वि.खं. कोयलीबेडा जिला उ.ब.कांकेर का अभ्यावेदन विधिअनुरूप पोषणीय नहीं होने के फलस्वरूप अमान्य किया जाता है।

पृ.क /स्था.2/टी संवर्ग/32(14)/2024/1003  
प्रतिलिपि:

1. महाधिवक्ता छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर।
2. सचिव छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग बस्तर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विधि कक्ष स्थानीय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित श्री सिया राम ध्रुव व्याख्याता एलबी शा.उ.मा.वि. इरपानार वि.खं. कोयलीबेडा जिला उ.ब.कांकेर।  
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
संचालक 31/1/24  
AS. लोक शिक्षण संचालनालय  
अटल नगर दिनांक 01/08/2024

  
संचालक  
लोक शिक्षण संचालनालय  
AS.

लोक शिक्षण संचालनालय  
छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ई.मेल. cg.dpi.dir@gmail.com)

क / स्था 2 / टी सवर्ग / 32(14) / 2024 / 1006 अटल नगर दिनांक 01/08/2024

// आदेश //

श्री पुरुषोत्तम लाल साहू व्याख्याता एलबी शा हाईस्कूल चारभाठा विख चरामा जिला कांकेर एवं अन्य 11 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छ ग विलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी.एस. 3045/2023 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 के परिपालन में श्री राजेश कुमार ध्रुव व्याख्याता एलबी शा हाईस्कूल माचपल्ली विख कोयलीवेडा जिला कांकेर के द्वारा अभ्यावेदन प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किया गया है।

संबंधित द्वारा अभ्यावेदन में लेख किया गया है कि— इनकी नियुक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कांकेर के आदेश दिनांक 08.10.2012 द्वारा व्याख्याता पंचायत के पद पर हुई एवं इनके द्वारा शा हाईस्कूल माचपल्ली विख कोयलीवेडा जिला कांकेर में दिनांक 11.10.2012 को कार्यभार ग्रहण किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन दिनांक 01.11.2019 से किया गया है। नियुक्ति से 10 वर्ष की सेवा अवधि दिनांक 11.10.2022 को पूर्ण हो चुकी है, तथा पदोन्नति हेतु आवश्यक योग्यताओं को धारित करने के उपरांत भी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति नहीं होने का लेख करते हुये दिनांक 11.10.2022 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत से क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. विलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी.एस. 3045/2023 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 की कण्डिका 3 एवं 4 इस प्रकार है—

3. Given the limited grievance which the petitioners have raised, let the petitioners make a suitable representation to the respondents No.1 to 3 within a period of three weeks from the date of receipt of certified copy of this order and the respondents No.1 to 3, in turn, shall take a decision on the granting of Kramonnati to the petitioners within a further period of 90 days. 4. The writ petition accordingly stands disposed of.

छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 12-03/2018/20-दो दिनांक 30.06.2018 की कण्डिका 3 एवं 4 इस प्रकार है—

3/ शिक्षक(पंचायत/नगरीय निकाय) जिनकी सेवायें 01 जुलाई 2018 को 08 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण हो चुकी है, की सेवाओं का दिनांक 01 जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाता है।

4/ शिक्षक (एल बी) संवर्ग को देय समस्त लाभ के लिये सेवा की गणना संविलियन दिनांक 1 जुलाई 2018 से की जायेगी।


*De*


उपरोक्तानुसार शासन नियम से स्पष्ट है कि शिक्षक एलबी संवर्ग के सेवाकाल की गणना सविलियन दिनांक से किया जाना है एवं संबंधित शिक्षकों के द्वारा व्याख्याता पंचायत पद पर नियुक्ति दिनांक से सेवाकाल की गणना कर क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान की मांग की गई है, जो कि नियमानुसार नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आदेश के परिपालन में संबंधित के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार किया गया है। श्री राजेश कुमार ध्रुव व्याख्याता एलबी शा.हाईस्कूल माचपल्ली वि.खं. कोयलीबेडा जिला कांकेर का अभ्यावेदन विधिअनुरूप पोषणीय नहीं होने के फलस्वरूप अमान्य किया जाता है।

पृ.क./स्था.2/टी संवर्ग/32(14)/2024/1007  
प्रतिलिपि:

1. महाधिवक्ता छ.ग. उच्च न्यायालय विलासपुर।
2. सचिव छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग वस्तर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विधि कक्ष स्थानीय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित श्री राजेश कुमार ध्रुव व्याख्याता एलबी शा.हाईस्कूल माचपल्ली वि.खं. कोयलीबेडा जिला कांकेर।  
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
संचालक 31/1/24  
लोक शिक्षण संचालनालय  
अटल नगर दिनांक 01/08/2024

  
संचालक  
लोक शिक्षण संचालनालय  
AS



लोक शिक्षण संचालनालय  
छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फैक्स क्रमांक 0771-2445215, ई.मेल. cg.dpi.dir@gmail.com)

क./स्था.2/टी संवर्ग/32(14)/2024/994 अटल नगर दिनांक 01/08/2024

// आदेश //

श्री पुरुषोत्तम लाल साहू व्याख्याता एलबी शा.हाईस्कूल चारभाठा विखं. चारामा जिला कांकेर एवं अन्य 11 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 3045/2023 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 के परिपालन में श्री बिरझुराम कांगे व्याख्याता एलबी शा.हाईस्कूल तेलावट विखं. कांकेर जिला उ.ब.कांकेर के द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 13.02.2024, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किया गया है।

संबंधित द्वारा अभ्यावेदन में लेख किया गया है कि:- इनकी नियुक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कांकेर के आदेश दिनांक 07.01.2013 द्वारा व्याख्याता पंचायत के पद पर हुई एवं इनके द्वारा शासकीय हाई स्कूल तेलावट में दिनांक 11.01.2013 को कार्यभार ग्रहण किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन दिनांक 01.11.2020 से किया गया है। नियुक्ति से 10 वर्ष की सेवा अवधि दिनांक 11.01.2023 को पूर्ण हो चुकी है, तथा पदोन्नति हेतु आवश्यक योग्यताओं को धारित करने के उपरांत भी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति नहीं होने का लेख करते हुये दिनांक 11.01.2023 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत से क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 3045/2023 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 की कण्डिका 3 एवं 4 इस प्रकार है:-  
3. Given the limited grievance which the petitioners have raised, let the petitioners make a suitable representation to the respondents No.1 to 3 within a period of three weeks from the date of receipt of certified copy of this order and the respondents No.1 to 3, in turn, shall take a decision on the granting of Kramonnati to the petitioners within a further period of 90 days. 4. The writ petition accordingly stands disposed of.

छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 12-03/2018/20-दो दिनांक 30.06.2018 की कण्डिका 3 एवं 4 इस प्रकार है:-  
3/ शिक्षक(पंचायत/नगरीय निकाय) जिनकी सेवाये 01 जुलाई 2018 को 08 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण हो चुकी है, की सेवाओं का दिनांक 01 जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाता है।  
4/ शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग को देय समस्त लाभ के लिये सेवा की गणना संविलियन दिनांक 1 जुलाई 2018 से की जायेगी।


न्यायालय जिला वि. कांकेर  
उ.ब.कांकेर  
प्रभारी अधिकारी - *[Signature]* / *[Date]*  
शाखा का नाम - 3295  
आवक क्रं. *[Signature]* दिनांक 22/8/24  
22.08.2024


उपरोक्तानुसार शासन नियम से स्पष्ट है कि शिक्षक एलबी संवर्ग के सेवाकाल की गणना सविलियन दिनांक से किया जाना है एवं संबंधित शिक्षकों के द्वारा व्याख्याता पंचायत पद पर नियुक्ति दिनांक से सेवाकाल की गणना कर कमोन्नति/समयमान वेतनमान की मांग की गई है, जो कि नियमानुसार नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आदेश के परिपालन में संबंधित के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार किया गया है। श्री बिरझुराम कांगे व्याख्याता एलबी शा. हाईस्कूल तेलावट वि.खं. कांकेर जिला उ.ब.कांकेर का अभ्यावेदन विधिअनुरूप पोषणीय नहीं होने के फलस्वरूप अमान्य किया जाता है।

पृ.क./स्था.2/टी संवर्ग/32(14)/2024/995  
प्रतिलिपि:

1. महाधिवक्ता छ.ग. उच्च न्यायालय विलासपुर।
2. सचिव छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग बस्तर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विधि कक्ष स्थानीय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित श्री बिरझुराम कांगे व्याख्याता एलबी शा.हाईस्कूल तेलावट वि.खं. कांकेर जिला उ.ब.कांकेर।  
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
संचालक 31/7/24  
AS. लोक शिक्षण संचालनालय  
अटल नगर दिनांक 01/08/2024

  
संचालक  
लोक शिक्षण संचालनालय  
AS.

लोक शिक्षण संचालनालय  
छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ई.मेल. cg.dpi.dir@gmail.com)

क./स्था.2/टी संवर्ग/32(14)/2024/10/2 अटल नगर दिनांक 01/08/2024

// आदेश //

श्री पुरुषोत्तम लाल साहू व्याख्याता एलबी शा.हाईस्कूल चारभाठा विखं चारामा जिला कांकेर एवं अन्य 11 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छ.ग बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 3045/2023 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 के परिपालन में श्री टिकेलाल सिदार व्याख्याता एलबी शा.हायर सेकेण्डरी स्कूल पोटगांव विखं कांकेर जिला कांकेर के द्वारा अभ्यावेदन प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किया गया है।

संबंधित द्वारा अभ्यावेदन में लेख किया गया है कि:- इनकी नियुक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कांकेर के आदेश दिनांक 07.01.2013 द्वारा व्याख्याता पंचायत के पद पर हुई एवं इनके द्वारा शा.हायर सेकेण्डरी स्कूल पोटगांव विखं कांकेर में दिनांक 09.01.2013 को कार्यभार ग्रहण किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में सविलियन दिनांक 01.11.2020 से किया गया है। नियुक्ति से 10 वर्ष की सेवा अवधि दिनांक 09.01.2023 को पूर्ण हो चुकी है, तथा पदोन्नति हेतु आवश्यक योग्यताओं को धारित करने के उपरांत भी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति नहीं होने का लेख करते हुये दिनांक 09.01.2023 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत से क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान करने का निवेदन किया गया है।


माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 3045/2023 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 की कण्डिका 3 एवं 4 इस प्रकार है:-  
3. Given the limited grievance which the petitioners have raised, let the petitioners make a suitable representation to the respondents No.1 to 3 within a period of three weeks from the date of receipt of certified copy of this order and the respondents No.1 to 3, in turn, shall take a decision on the granting of Kramonnati to the petitioners within a further period of 90 days. 4. The writ petition accordingly stands disposed of.

छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 12-03/2018/20-दो दिनांक 30.06.2018 की कण्डिका 3 एवं 4 इस प्रकार है:-  
3/ शिक्षक(पंचायत/नगरीय निकाय) जिनकी सेवाये 01 जुलाई 2018 को 08 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण हो चुकी है, की सेवाओं का दिनांक 01 जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाता है।  
4/ शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग को देय समस्त लाभ के लिये सेवा की गणना संविलियन दिनांक 1 जुलाई 2018 से की जायेगी।

De

उपरोक्तानुसार शासन नियम से स्पष्ट है कि शिक्षक एलबी संवर्ग के सेवाकाल की गणना सविलियन दिनांक से किया जाना है एवं संबंधित शिक्षकों के द्वारा व्याख्याता पंचायत पद पर नियुक्ति दिनांक से सेवाकाल की गणना कर कमोन्नति/समयमान वेतनमान की मांग की गई है, जो कि नियमानुसार नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आदेश के परिपालन में संबंधित के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार किया गया है। श्री टिकेलाल सिदार व्याख्याता एलबी शाहायर सेकेण्डरी स्कूल पोटगाव वि.खं. कांकेर जिला कांकेर का अभ्यावेदन विधिअनुरूप पोषणीय नहीं होने के फलस्वरूप अमान्य किया जाता है।

  
संचालक 31/7/24

१५ लोक शिक्षण संचालनालय  
अटल नगर दिनांक ०१/०८/२०२४

पृ.क/स्था.२/टी संवर्ग/३२(१४)/२०२४/१०१३  
प्रतिलिपि

- 1 महाधिवक्ता छ.ग. उच्च न्यायालय विलासपुर।
- 2 सचिव छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर।
- 3 संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग बस्तर।
- ✓ 4 जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5 विधि कक्ष स्थानीय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 6 संबंधित श्री टिकेलाल सिदार व्याख्याता एलबी शा.हायर सेकेण्डरी स्कूल पोटगाव वि.खं. कांकेर जिला कांकेर।  
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय  
१५

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, अटल नगर)

326/ 28/8/24

27.08.2024

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फैक्स क्रमांक 0771-2445215, ई.मेल. cg.dpi.dir@gmail.com)

क./स्था.2/टी संवर्ग/32(14)/2024/ 1004 अटल नगर दिनांक 01/08/2024

// आदेश //

श्री पुरुषोत्तम लाल साहू व्याख्याता एलबी शा.हाईस्कूल चारभाठा वि.खं. चारामा जिला कांकेर एवं अन्य 11 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 3045/2023 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 के परिपालन में श्री जीवन लाल बघेल व्याख्याता एलबी शा.उ.मा.वि. चंदेली वि.खं. चारामा जिला कांकेर के द्वारा अभ्यावेदन प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किया गया है।

संबंधित द्वारा अभ्यावेदन में लेख किया गया है कि:- इनकी नियुक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कांकेर के आदेश दिनांक 27.02.2009 द्वारा व्याख्याता पंचायत के पद पर हुई एवं इनके द्वारा शा.उ.मा.वि. चंदेली वि.खं. चारामा जिला कांकेर में दिनांक 27.02.2009 को कार्यभार ग्रहण किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन दिनांक 01.07.2018 से किया गया है। नियुक्ति से 10 वर्ष की सेवा अवधि दिनांक 27.02.2019 को पूर्ण हो चुकी है, तथा पदोन्नति हेतु आवश्यक योग्यताओं को धारित करने के उपरांत भी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति नहीं होने का लेख करते हुये दिनांक 27.02.2019 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत से कमोन्नति वेतनमान प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 3045/2023 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2023 की कण्डिका 3 एवं 4 इस प्रकार हैं:-

3. Given the limited grievance which the petitioners have raised, let the petitioners make a suitable representation to the respondents No.1 to 3 within a period of three weeks from the date of receipt of certified copy of this order and the respondents No.1 to 3, in turn, shall take a decision on the granting of Kramonnati to the petitioners within a further period of 90 days. 4. The writ petition accordingly stands disposed of.

छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 12-03/2018/20-दो दिनांक 30.06.2018 की कण्डिका 3 एवं 4 इस प्रकार हैं:-

3/ शिक्षक(पंचायत/नगरीय निकाय) जिनकी सेवायें 01 जुलाई 2018 को 08 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण हो चुकी है, की सेवाओं का दिनांक 01 जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाता है।

4/ शिक्षक (एल.बी.) संवर्ग को देय समस्त लाभ के लिये सेवा की गणना संविलियन दिनांक 1 जुलाई 2018 से की जायेगी।


Dly


उपरोक्तानुसार शासन नियम से स्पष्ट है कि शिक्षक एलबी संवर्ग के सेवाकाल की गणना संविलियन दिनांक से किया जाना है एवं संबंधित शिक्षकों के द्वारा व्याख्याता पंचायत पद पर नियुक्ति दिनांक से सेवाकाल की गणना कर क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान की मांग की गई है, जो कि नियमानुसार नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आदेश के परिपालन में संबंधित के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार किया गया है। श्री जीवन लाल बघेल व्याख्याता एलबी शा.उ.मा.वि. चंदेली वि.खं. चारामा जिला कांकेर का अभ्यावेदन विधिअनुरूप पोषणीय नहीं होने के फलस्वरूप अमान्य किया जाता है।

पृ.क्र./स्था.2/टी संवर्ग/32(14)/2024/1005  
प्रतिलिपि:

1. महाधिवक्ता छ.ग. उच्च न्यायालय विलासपुर।
2. सचिव छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग बस्तर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विधि कक्ष स्थानीय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित श्री जीवन लाल बघेल व्याख्याता एलबी शा.उ.मा.वि. चंदेली वि.खं. चारामा जिला कांकेर।  
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
संचालक 31/1/24  
AS लोक शिक्षण संचालनालय  
अटल नगर दिनांक 01/08/2024

  
संचालक  
AS लोक शिक्षण संचालनालय